रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032020-218954 CG-DL-E-30032020-218954

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 176] No. 176] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2020/चैत्र 10, 1942 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2020/CHAITRA 10, 1942

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2020

सा.का.िन. 226(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 73 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय स्टाम्प (स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगमों एवं निक्षेपागारों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संग्रहण) नियम, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात

- (1) (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगमों एवं निक्षेपागारों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संग्रहण) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 है।
  - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (2) भारतीय स्टाम्प (स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगमों एवं निक्षेपागारों के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संग्रहण) (संशोधन) नियम, 2020 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प (स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगमों एवं निक्षेपागारों

1637 GI/2020 (1)

के माध्यम से स्टाम्प शुल्क का संग्रहण) नियम, 2019 में, नियम (1) के, उप नियम (2) में, "1 अप्रैल 2020" शब्दों और अंकों के स्थान पर "1 जुलाई 2020" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

> [फा. सं. एस. 33013/3/2019 एसटी- I, डीओआर] ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3, उपखंड (i) में संख्या सा.का.िन. 901 (अ) तारीख 10 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 3, उपखंड (i) में तारीख 8 जनवरी, 2020 की अधिसूचना सं. सा.का.िन. 19(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

# (Department of Revenue)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2020

- **G.S.R. 226(E).**—In exercise of the powers conferred by section 73A of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Indian Stamp (Collection of Stamp-Duty through Stock Exchanges, Clearing Corporations and Depositories) Rules, 2019, namely:-
- (1) (1) These rules may be called as the Indian Stamp (Collection of Stamp-Duty through Stock Exchanges, Clearing Corporations and Depositories) (Second Amendment) Rules, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (2) In the Indian Stamp (Collection of Stamp-Duty through Stock Exchanges, Clearing Corporations and Depositories) Rules, 2019, as amended by the Indian Stamp (Collection of Stamp-Duty through Stock Exchanges, Clearing Corporations and Depositories) (Amendment) Rules, 2020, in rule (1), in sub-rule (2), for the words and figures "1st day of April 2020" the words, figures and letters "1st day of July 2020" shall be substituted.

[F. No. S.33013/3/2019 ST-I, DOR] RITVIK PANDEY, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 901(E), dated the 10<sup>th</sup> December, 2019 and first amendment published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 19 (E) dated the 8<sup>th</sup> January, 2020.